

[भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशनार्थ]

भारत सरकार  
वित्त मंत्रालय  
(राजस्व विभाग)

अधिसूचना संख्या 1/2020-संघ राज्य कर (दर)

नई दिल्ली, 21 फरवरी, 2020

सा.का.नि. (अ).- संघ राज्य माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 14) की धारा 7 की उपधारा (1) और केन्द्रीय माल एवं सेवाकर अधिनियम, 2017 (2017 का 12) की धारा 15 की उपधारा (5) के तहत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्र सरकार, जीएसटी परिषद की सिफारिशों के आधार पर, एतद्वारा, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017, जिसे सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II, खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, में और आगे भी निम्नलिखित संशोधन करती है, यथा:-

उक्त अधिसूचना में,-

(क) अनुसूची II - 6% में, क्रम सं. 242 और उससे संबंधित प्रविष्टियों को निरसित कर दिया जाएगा।

(ख) अनुसूची IV - 14% में, क्रम सं. 228 और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम सं. और प्रविष्टियों को प्रतिस्थापित किया जाएगा, यथा:-

सारणी		
"228	कोई भी अध्याय	लॉट्टी".

2. यह अधिसूचना 01 मार्च, 2020 से लागू होगी।

[फा.सं. 354/18/2019-टीआरयू]

(प्रमोद कुमार)

निदेशक, भारत सरकार

नोट: प्रधान अधिसूचना सं. 1/2017-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 28 जून, 2017 को सा.का.नि. 710(अ), दिनांक 28 जून, 2017 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था और इसमें अंतिम बार अधिसूचना सं. 27/2019-संघ राज्य कर (दर), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019, जिसे सा.का.नि. 963(अ), दिनांक 30 दिसम्बर, 2019 के तहत भारत के राजपत्र, असाधारण, के भाग II खंड 3, उपखंड (i) में प्रकाशित किया गया था, के द्वारा संशोधन किया गया था।